

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3269

गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान यात्रा में देरी की घटना

3269. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विमान यात्रा में विलंब की समस्या तथा यात्रियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (ख) सरकार किस प्रकार से विमान यात्रा में देरी के लिए एयरलाइनों को जवाबदेह बना रही है तथा समय पर परिचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या दंड या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;
- (ग) विमान यात्रा में बार-बार देरी होने पर एयरलाइनों के विरुद्ध हाल ही में की गई कोई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विमान यात्रा में हुए विलंब के कारण प्रभावित यात्रियों के लिए किसी मौजूदा मुआवजा योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (घ) : एयरलाइनों द्वारा उड़ान समय-सारणी का पालन सुनिश्चित करने और उड़ान में देरी को कम करने के लिए, डीजीसीए ने "उड़ान में देरी को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शीर्षक" से वर्ष 2017 का हवाई परिवहन परिपत्र 05 जारी किया है। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए सर्दियों के दौरान कोहरे की अवधि शुरू होने से पहले, सर्दियों के महीनों में सुचारु उड़ान परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोहरे की तैयारी और कम दृश्यता परिचालनों के संबंध में बैठक आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए किसी भी उभरती परिचालन चुनौतियों का निराकरण करने और समाधान करने के लिए, आवश्यकतानुसार नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर), परिपत्रों और बैठकों के कार्यवृत्त के रूप में निरंतर आधार पर निर्देश जारी करता है।

उड़ानों में देरी के परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने और सुविधा प्रदान करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने "विमान में चढ़ने से मना करने, उड़ान रद्द करने एवं उड़ान में विलंब के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड 3, शृंखला एम, भाग IV जारी किया है।

उपर्युक्त नागर विमानन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, प्रभावित यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी:

(i) जिन यात्रियों ने नियत समय पर चेक-इन किया है और एयरलाइन को प्रस्थान के अपने मूल रूप से घोषित निर्धारित समय या प्रस्थान के संशोधित समय से दो घंटे या उससे अधिक की देरी की उम्मीद है, तो उन यात्रियों को प्रतीक्षा समय के संबंध में भोजन और जलपान।

उड़ान में 2 घंटे तक की देरी - पीने का पानी

2 से 4 घंटे के बीच - नाश्ते/जलपान के साथ चाय/कॉफी

4 घंटे से अधिक - भोजन

(ii) रात भर की देरी होने की स्थिति में, स्थानांतरण सहित होटल आवास।

(iii) यदि अपेक्षित देरी 6 घंटे से अधिक है, तो एयरलाइनें वैकल्पिक उड़ान/पूर्ण धन वापसी का विकल्प प्रदान करेंगी।
